



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25032023-244687
CG-DL-W-25032023-244687

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 19—मार्च 25, 2023, शनिवार/फाल्गुन 28, 1944—चैत्र 4, 1945
No. 11] NEW DELHI, MARCH 19—MARCH 25, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 28, 1944—CHAITRA 4, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2023

सा.का.नि. 26.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, परा-पशुचिकित्सा काडर योद्धक निरीक्षक (पशुचिकित्सा) अराजपत्रित, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 और गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' योद्धक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में निरीक्षक (पशुचिकित्सा) और उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योद्धक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक द्रष्टया योग्यता.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग 'शेप-1' में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शेप-1' से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:-

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्ता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सीय वर्गीकरण:-

एस	-	मनोवैज्ञानिक
एच	-	श्रवणता
ए	-	उपांग
पी	-	शारीरिक क्षमता
ई	-	दृष्टि

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता का द्योतक घटते कार्यात्मक दक्षता को, उपदर्शित करते हुए प्रत्येक कोड अक्षर के सामने 1 से 5 अंक द्वारा किया जाएगा और अंकों को कोड अक्षर के बाद लिखा जाएगा, सिवाय इसके जहाँ कोई अधिकारी सभी कारकों में ग्रेड-1 में है, वहाँ उसका प्रवर्ग एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय, शेप-1 लिखकर द्योतक किया जा सकेगा। इन अंकों का सामान्य मुल्यांकन निम्नानुसार है:-

(क) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों के प्रकार और इस आधार पर कि क्या कर्तव्य घोर दबाव या कान या आँख दोनों की सुनने या देखने की तीव्र माँग के है, नियोजनीयता के क्षेत्र से सम्बंधित सीमाएं लगाई जा सकती है।

(ग) "एस" घटक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु अत्यधिक शीत क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ऊँचाई (2700 मीटर से ऊपर) और दीर्घ समनुदेशन के लिए नियोजनीयता की सीमाएं हो सकती है।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ.) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. **अधिवर्षिता.-** इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए कार्मिक, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से जिसमें साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, तो उस माह के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, पूर्व मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

8. **अन्यदेशीय अपात्रता.-** कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

9. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **सेवा का दायित्व.-** इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

11. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निरीक्षक (पशुचिकित्सा)।	2* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अनुसूचिवीय) योद्धक।	स्तर-7 (रु. 44900-142400/-)।

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400/-) में ऐसे उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा) में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है और जिन्होंने समय-समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो एवं जिनका चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और

(ii) ऐसे व्यक्ति जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400/-) में उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा) की पंक्ति या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जिन्होंने मूल काडर या विभाग में विशिष्ट श्रेणी में पाँच वर्ष से अन्यून सेवा की है या ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो;

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मुख्य विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ 12वीं (विज्ञान) की परीक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सालय में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के उपचार में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 है और सशस्त्र बलों में समान या समतुल्य रैंक प्राप्त किया है।

टिप्पण: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

2. उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	- सदस्य;	
3. कमांडेंट (पशुचिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल	- सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा)।	7* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अनुसूचित) योद्धा।	स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

(11)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300/-) में ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा) में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है और जिन्होंने समय-समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो एवं जिनका चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ii) ऐसे व्यक्ति जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300/-) में सहायक उप-निरीक्षक (पशुचिकित्सा) की पंक्ति या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जिन्होंने मूल काडर या विभाग में विशिष्ट श्रेणी में छह वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है या ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ग) चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेष-1 है और सशस्त्र बलों में समान या समतुल्य रैंक प्राप्त किया है।

टिप्पण: सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मिकों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य;	
3. उप-कमांडेंट(पशुचिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य;	
3. उप-कमांडेंट(पशुचिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	

[फा. सं. 4/3/एसएसबी/सीएससी/बी एन/जीपी 'बी'/वैटी /2021/एस.एफ.एस]

काशी नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th March, 2023

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised Inspector (Veterinary) Non-Gazetted Group 'B' Para-Veterinary Cadre Recruitment Rules, 2012 and the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Veterinary) and Sub-Inspector (Veterinary) in the Sashastra Seema Bal, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised, Group 'B' (Non-Gazetted) Para-Veterinary Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**— These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**— No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in the medical category of SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.- For the purpose of this rule, "SHAPE-1" means medical Category defined as under, namely:-

- (i) medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function: -

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eye-Sight
- (ii) functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-1 instead of writing S1H1A1P1E1 and general evaluation of these numerals is as under:-
 - (a) fit for all duties anywhere in India;
 - (b) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes;
 - (c) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;
 - (d) temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave;
 - (e) permanently unfit for duties.

7. **Superannuation.**- A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

8. **Ineligibility of Aliens.**- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

10. **Liability of service.**- Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad and perform the work and duties assigned to him while

11. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Veterinary).	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatised.	Level-7 (Rs. 44900-142400/-).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

By Promotion : Promotion from amongst Sub-Inspector (Veterinary) in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix who have rendered not less than five years regular service in the grade and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time having Medical Category SHAPE-1

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Police Organisations, -

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and

(ii) persons holding the rank of Sub-Inspector (Veterinary) in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent post and who have rendered not less than five years' regular service in particular grade or persons eligible for appointment to such posts in the parent cadre or department.

(b) having the following qualification and experience, namely:-

(i) pass in Intermediate (10+2) Science examination with Biology as main subject from a recognised Board or University; and

(ii) one year experience in treatment of different species of animals in a recognised Veterinary Hospital.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(c) shall be in Medical Category SHAPE-1.

Re-employment for ex-servicemen: Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in the Armed Forces having Medical Category SHAPE-1,

Note: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to service within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal : Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Sub-Inspector (Veterinary).	7* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatised.	Level 6 (Rs.35400-112400/-).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: Deputation/re-employment.

(11)
By Promotion : Promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Veterinary) in level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix who have rendered not less than six years regular service in the grade and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time having Medical Category SHAPE-1. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Police Organisations, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) persons holding the rank of Assistant Sub-Inspector (Veterinary) in level 5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent post who have rendered not less than six years' regular service in particular grade or persons eligible for appointment to such posts. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. (b) shall be in Medical Category SHAPE-1. Re-employment for ex-servicemen: Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in the Armed Forces having Medical Category SHAPE-1, Note: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to service within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Chairperson; 2. Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Deputy Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal : Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Chairperson; 2. Commandant, Sashastra Seema Bal : Member; 3. Deputy Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal : Member.	Not applicable.

[F. No. 4/3/SSB/CSC/Bn/Gp 'B'/Vety/2021/SFS]

KASHI NATH, Under Secy.

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023**

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीशियन	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (25500 – 81100/- रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता। 2. प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल एड्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस तरह की अन्य मशीनों के प्रचालन का ज्ञान हो। 3. फोटो-कॉपी मशीन, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऐसी अन्य मशीनों के संचालन और मरम्मत का ज्ञान हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव या उच्चतर अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, शिलांग - सदस्य; 3. सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. NEC-17/38/2020-O/o US (NEC)]

अंजना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**(North Eastern Council Secretariat, Shillong)**

New Delhi, the 15th March, 2023

G.S.R.-27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Technician in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Technician, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.** - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technician	01* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Ministerial	Level- 4 (Rs. 25500 - 81100/-).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	1. 12th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University. 2. Having knowledge in handling of Projector, Audio Visual

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Aids, Public Address System, Video conferencing and such other machines. 3. Having knowledge in the operation and repair of photo-copying machine, hardware and software of computer systems and of such other machines.
--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council-Chairperson; 2. Under Secretary or above, Geological Survey of India, Shillong-Member; 3. Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong-Member.	Not applicable.

[F. No. NEC-17/38/2020-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.